ACE/22-23/031

02-12-2022

भीम

राजस्थान सरकार

**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे फाटक के पास, जयपुर

क्रमांक:प 9(4)(33)उ.मै.छा./पोर्टल/कार्ययोजना/छात्रवृत्ति/2021-22/4596    दिनांक : 01.12.2022

## आदेश

शैक्षणिक सत्र 2022–23 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाईट www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर SCHOLARSHIP SJE App पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

| क्र.सं. | विषय वस्तु | पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि | नवीन निर्धारित अन्तिम तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन/ पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अद्यतन करने के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की जाती है। | 30 नवम्बर, 2022 | 31 जनवरी, 2023 |

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय वेबसाईट https://sje.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

NB/WB
Ramesh Sharma
Student Circulation

E:\SB 2022\ORDER & VIGYAPTI.DOCX

2.12.2022



Scanned with OKEN Scanner